जनपद गाजियाबाद **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 14.8.19**

थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा 15,000/- का इनामी अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी व 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद - थाना लिंक रोड़ पुलिस द्वारा दिनांक 14.08.19 को पण्डित ऑटोमोबाइल्स चौकी क्षेत्र महाराजपुर थाना लिंक रोड़ के पास चैकिंग के दौरान स्कूटी पर सवार 02 संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का इशारा किया गया पर नही रुके तथा भागते हुए जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, पुलिस पार्टी की जवाबी फायरिंग में बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे अभि0 **अनुज उर्फ गप्पी पुत्र योगेश निवासी ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत (उ0प्र0**) गोली लगने से घायल हो गया है। जिसको गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया है। उक्त अभियुक्त का एक साथी मौके से भागने मे सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार अभियुक्त मु0अ0सं0- 398/19 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली जिला बागपत मे वाछिंत चल रहा 15000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है। जिसके कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी व 01 अदद 315 बोर तमंचा व 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। अभि0 ने अपने गैंग के सदस्य 1. मुन्दर उर्फ दिनेश नि0- ढिकौली बागपत 2. चिन्टू उर्फ छोटू नि0- ढिकौली बागपत का नाम भी बताया है जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। उक्त अभि0 मोटरसाइकिल चोरी , कैश लूट , मोबाइल लूट आदि की घटनायें कारित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. **अनुज उर्फ गप्पी पुत्र योगेश निवासी ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत (उ0प्र0)**

   अभि0 का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 81/17 धारा 323/141 भादवि थाना चाँदीनगर बागपत
2. मु0अ0सं0 150/19 धारा 307/34 भादवि थाना चाँदीनगर बागपत
3. मु0अ0सं0 152/19 धारा 414 भादवि थाना चाँदीनगर बागपत
4. मु0अ0सं0 554 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना कोतवाली बागपत
5. मु0अ0सं0 555/19 धारा 420/414 भादवि थाना कोतवाली बागपत
6. मु0अ0सं0 398/19 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली बागपत
7. मु0अ0सं0 603/19 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली बागपत
8. मु0अ0सं0 1055/19 धारा 379 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
9. मु0अ0सं0 85/19 धारा 392 भादवि थाना लिंक रोड़ गाजियाबाद
10. मु0अ0सं0 259/19 धारा 395 भादवि थाना लिंक रोड़ गाजियाबाद
11. मु0अ0सं0 262/19 धारा 379 भादवि थाना लिंक रोड़ गाजियाबाद
12. मु0अ0सं0 355/19 धारा 307 भादवि थाना लिंक रोड़ गाजियाबाद
13. मु0अ0सं0 356/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना लिंक रोड़ गाजियाबाद

बरामदगी :-

1. 01 अदद स्कूटी टीवीएस जुपीटर रजि नं0 UP 14 DU 7853
   (सम्बन्धित मु0अ0सं0 262/19 धारा 379 भादवि थाना लिंक रोड़ गाजियाबाद)
2. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस
   (सम्बन्धित मु0अ0सं0 356/19 धारा 3/25 ए एक्ट)

3 नफर अभियुक्त मय एक अदद तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस व 2 अदद जिन्दा कारतूस व दो अदद छुरी व मु0अ0स0 298/19 धारा 392/411 भादवि में लूटे गये 3600/- रुपये, सैमसंग मोबाईल व अन्य सामान सहित गिरफ्तार-

थाना भोजपुर पर दिनांक 13.08.19 को वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 298/19 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया । उक्त अभियोंग में कार्यवाही करते हुए थाना भोजपुर पुलिस ने दिनांक 13.08.19 को चेकिंग के दौरान मुखबीर की सूचना पर भोजपुर - पिलखुवा मार्ग पर ग्राम अमराला मैन गेट के पास पहुँची तो पुलिस को आता देखकर बस स्टाप पर बैठे तीन व्यक्तियो ने पुलिस को देखकर फायर कर किया। जिसमे पुलिस बाल बाल बची। जिन्हे पुलिस पार्टी द्वारा घेर घोट कर समय 22.00 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है जिनसे नाम पता पूछा तो इन्होने नाम **1. आलम उर्फ बलालू पुत्र सलीम 2. आसिफ पुत्र इसरार 3. शाहरूख उर्फ गंधारी पुत्र जब्बारनिवासीगण ग्राम व थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद** बताया, जिनके कब्जे से मु0अ0स0 298/19 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित लूटे गये 3600/- रूपये, आधार कार्ड, डीएल, मोबाइल फोन, डायरी, एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर एक खोखा कारतूस व 2 अदद जिन्दा कारतूस, दो अदद छुरी बरामद हुई है। जिसके सम्बन्ध मे थाना भोजपुर गा0बाद पर मु0अ0स0 299/19 धारा 307 भादवि बनाम 1. आलम उर्फ बलालू पुत्र सलीम 2. आसिफ पुत्र इसरार 3. शाहरूख उर्फ गंधारी पुत्र जब्बार निवासीगण ग्राम व थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद, मु0अ0स0 300/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम आलम उर्फ बलालू पुत्र सलीम उपरोक्त मु0अ0स0 301/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम आसिफ पुत्र इसरार उपरोक्त मु0अ0स0302/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम शाहरूख उर्फ गंधारी पुत्र जब्बार उपरोक्त मे अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. आलम उर्फ बलालू पुत्र सलीम नि0 ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद
2. आसिफ पुत्र इसरार नि0 ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद
3. शाहरूख उर्फ गंधारी पुत्र जब्बार नि0 ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस दो अदद जिन्दा कारतूस, दो अदद छुरी व मु0अ0स0 298/19 धारा 392/411 भादवि मे लूटे गये 3600/- रुपये, एक अदद सैमसंग मोबाइल जे 7, ड्राइविंग लाइसेंस, व आधार कार्ड, डायरी

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

1.आलम उर्फ बलालू पुत्र सलीम नि0 ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद

1. मु.अ.स. 298/19 धारा 392/411 भादवि थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद।
2. मु.अ.स. 299/19 धारा 307 भादवि थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद
3. मु.अ.स. 300/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद

2.आसिफ पुत्र इसरार नि0 ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद

1. मु.अ.स. 298/19 धारा 392/411 भादवि थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद।
2. मु.अ.स. 299/19 धारा 307 भादवि थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद
3. मु.अ.स. 301/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद

3.शाहरूख उर्फ गंधारी पुत्र जब्बार नि0 ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद

1. मु.अ.स. 298/19 धारा 392/411 भादवि थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद।
2. मु.अ.स. 299/19 धारा 307 भादवि थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद
3. मु.अ.स. 302/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद
4. मु.अ.स. 747/18 धारा 452/323/504 भादवि थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद

02 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः- थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 14.8.19 को समय 00.40 बजे बी ब्लॉक गरिमा गार्डन के पास से अभियुक्त निसार उर्फ मन्नी पुत्र मन्जूर निवासी एल-4 गरिमा गार्डन थाना साहिबाबाद गा0बाद को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 02 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

144 पव्वा अंग्रेजी शराब अरुणाचल मार्का सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः- थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा दिनांक 14.08019 को समय 1.00 बजे आश्रम रोड नन्दग्राम से अभियुक्त राजकुमार पुत्र पप्पू निवासी म0नं0- 137 होली वाली गली चन्द्रपुरा देहली गेट थाना कोतवाली गा0बाद को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 144 पव्वा अंग्रेजी शराब अरुणाँचल मार्का बरामद हुई है।

48 पव्वा अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः- थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 14.08.19 को समय 00.30 बजे गार्निया चौराहे से अभियुक्त शंकर पुत्र समौली निवासी मंगल बाजार दो ए वसुन्धरा झुग्गी झोपडी थाना इंदिरापुरम गा0बाद को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 48 पव्वा अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है।

एन0एच0ए0आई0 में कार्यरत कम्पनी के प्लांट से निर्माण सामग्री चोरी करने वाला फरार शातिर अपराधी गिरफ्तार-

APPCO INFRA TECHPVT. LTD. के प्रबन्धक श्री सैय्यद जकी हैदर पुत्र श्री रफी हैदर द्वारा थाना मसूरी पर सूचना दी गयी कि उनकी कम्पनी द्वारा NHAI द्वारा निर्माणाधीन NH-24 में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उनकी कम्पनी में कार्यरत कर्मचारियो द्वारा चोरी से कम्पनी के डासना स्थित प्लान्ट से रोडी / डस्ट व अन्य निर्माण साम्रगी चोरी कर बेचा जा रहा है। इस सम्बन्ध में दिनांक 10/8/19 को प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एक साथी फरार हो गया था जिसको दिनांक 13/08/19 को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर फरार अभियुक्त राजेश कुमार को कब्रिस्तान रोड डासना से समय 10.55 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैने धर्म काँटे पर घटतोली कराकर रोडी / डस्ट (निर्माण सामग्री) को अपने आर्थिक लाभ के लिए पूर्व मे गिरफ्तार साथियो के साथ मिलकर कम दामो पर बेच दिया था दिनांक 10/08/19 जो माल रोडी /डस्ट (निर्माण सामग्री) बरामद हुआ था। उसे भी मेरे द्वारा बिकवाया गया था। इस सम्बन्ध में थाना मसूरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 559/19 धारा 381/411 भादवि मे अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. राजेश पुत्र जेतू तेली निवासी पेरू सरैईया थाना कूडेभार जिला सुल्तानपुर

खडे वाहनो से डीजल चोरी करने वाला फरार शातिर अपराधी गिरफ्तार कब्जे से एक चाकू बरामद- दिनांक 29/11/2018 को थाना मसूरी पुलिस द्वारा पैरिफेरल एक्सप्रेसवे से खडे ट्रको से डीजल तेल की चोरी करने वाले गिरोह के 09 अभियुक्तो को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था तथा उनके कब्जे से भारी मात्रा में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खडे ट्रको सें चोरी किया गया लगभग 200लीटर डीजल , ड्रम व ट्रक तथा केंटर बरामद किये गये थे। मौके से उस समय एक व्यक्ति आरिफ फरार हो गया था।

उक्त फरार अपराधी को थाना मसूरी पुलिस द्वारा आज दिनांक 14/08/19 को समय करीब 10.25 बजे ग्राम नायफल प्राइमरी स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया और जिसके कब्ज से एक चाकू नाजायज बरामद हुआ। पूछताछ पर उसने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर ईस्टर्न पैरिफेल हाईवे पर खडे ट्रको से डीजल चोरी करता था। तथा डीजल चोरी के दौरान मेरा ट्रक UP 17 AT 2388 भी प्रयुक्त होता था। जो पहले ही पुलिस द्वारा पकडा जा चुका है। ट्रको से चोरी किये गये तेल को हम लोग ड्रमों में भरकर बुलन्दशहर ले जाकर चलते फिरते ट्रक ड्राईवरों को कम दाम में बेच दिया करते थे और हमे जो पैसा मिलता था उसे अपनी जरूरतो व मौज मस्ती में खर्च कर देते थे। इस संबंध में पूर्व में थाना मसूरी पर मु0अ0सं0 1197/18 धारा 401/411/413/414/420 भादवि का पंजीकृत है तथा गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहा था। जिसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता अभियुक्तः

आरिफ पुत्र अख्तर नि0 ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

अभियुक्त से बरमदगी

01 अदद चाकू नाजायज